

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों / संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 03 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं समकक्ष श्री/शुश्री/श्रीमती	मूल पदस्थान स्थान (राज्य/वि)	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2		3	4	5
1	भूरसिंह राठौड, तिवरी, जोधपुर		जोधपुर	19.02.1959	28.02.2019
2	फकीरा राम, जसाई-बाडमेर		झुन्झुनू	05.01.1959	31.01.2019
3	नहनद्र खिडिया - खींवरसर		नागौर	26.01.1959	31.01.2019
4	सावताराम- बिकमसरा		चूरु	15.08.1958	31.08.2018

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया व/वा कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

नोट- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

*(Handwritten Signature)*

(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018

दिनांक:-

29/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....
2. उपनिदेशक राज्य बोमा एवं प्रावधानी निधि विभाग .....
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा .....
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा .....
5. संबधित संस्था प्रधान.....
6. संबधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली

*(Handwritten Signature)*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर